न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

…सं संख्या– 122/2013 आवेदन 212RTA

शांति देवी बेवा मालाराम जाति बलाई निवासीनी ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

–प्रार्थीनी

ब नाम

रामदेवाराम पुत्र दुलाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर से।

श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिंनाक :– 01.03.2021

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 927/2175 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीनी/आवेदिका के पति माला पुत्र रामदेव के नाम से रिकार्ड में दर्ज रही है तथा उक्त मालाराम की मृत्यु हो जाने पर इसकी खातेदारी प्रार्थीनी/आवेदिका के व अन्य वारिसान नंदलाल, कालूराम, गीगाराम, रतनलाल व नानूराम पुत्रगण मालाराम एवं सामोती देवी व छोटी देवी पुत्रियां मालाराम के नाम जरिये विरासत खातेदारी दर्ज हो गई। जब नाजायज रूप से रामदेव पुत्र दुलाराम जाति बलाई अवैध रूप से लाठी के बल पर प्रार्थीनी/आवेदिका की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य चालू कर रखा है एवं मना करने पर मरने व मारने पर उतारू है। यह कि प्रार्थीनी/आवेदिका एक ग्रामीण परिवेश की पर्दानशीन महिला है। अनावेदक संख्या एक किसी दुसरे गांव का रहने वाला है। अनावेदक संख्या एक आवेदिका के हिस्से की जमीन पर जबरन अवैध निर्माण व कब्जा कर इसकी आड में भूमि हडपना चाहता है जिसका उसको कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाया जाना लाजमी हो गया है।

अ

उक्त अनावेदक संख्या एक नाजायज रूप से लाठी व पैसे के बल पर आवेदिका की उपरोक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द सींव-नींव तोड़ने जबरन कब्जा कर नव-निर्माण करने व आवेदिका के कब्जे, काश्त व उपयोग-उपभोग मे दखल अंदाजी कर बेदखल करने में कामयाब हो गये तो इस कदर आवेदिका को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी तथा आवेदिका के अत्यधिक खातेदारी सामूहिक अधिकारों का हनन होगा व वादीनी व अनावेदकगण के बीच अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। फलस्वरूप अनावेदकगण को उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि ख.नं. 927/2175 रकबा 0.64 है0 तन ग्राम बाय के किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार से खण्डित या खुर्द-बुर्द कर नव निर्माण करने, सींव-नींव को दुरूस्त करने तथा अन्य किसी भी प्रकार से मौका स्थिति व रिकार्ड में परिवर्तन कर वादीनी के सुचारू उपयोग-उपभोग मे दखल अदाजी करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रेखराज पारिक हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर कथन किया की भूमि खसरा नम्बरान 927/2175 रकबा 0.64 है0 ग्राम बाय में अवस्थित के पुराना खसरा नम्बर 433 है। पुराने ख.नं. 433 के नये ख.नं. 927 जो बाद में 927 के कई बटटा नं. पडे है। जिनमें कई व्यक्तियों ने जरिए विक्रय पत्र क्रय की है एवं कई व्यक्तियों ने स्टाम्प पर लिखावट के आधार पर क्रय की, कई व्यक्तियों ने विक्रय पत्र से खरीद की। उनके पक्ष में नामान्तरण नहीं खोला गया। इस कारण आवेदिका एवं अन्य स्व. मालाराम के उत्तराधिकारीगण के नाम 0.64 है0 भूमि गलत रूप से खातेदारी में दर्ज रह गयी, जबकि उक्त वर्णित भूमि जो पुराना खसरा नम्बर 433 है, में पिछले 40 वर्ष से कभी काश्त नहीं की गयी। सरकार द्वारा ग्रेवल सडकों का निर्माण किया गया एवं ज.ल, विधुत, टेलीफोन कनेक्शन जारी हुए है। जिनका सभी पटटाधारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। राजस्व अधिकारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड केवल मात्र आवेदिका एवं उसके पुत्रों के नाम जरूर है, भौतिक रूप से उक्त जगह कॉलोनी के रूप में है। भूमि में से 1250 वर्गगज भूमि उत्तरदाता/अनावेदक ने खरीद कर कब्जा उसी दिन दिनांक 28.07.1990 को प्राप्त कर डंडा बना कर लोहे का गेट लगा कर मकान का निर्माण करवा कर परिवार सहित

आबाद है। विद्युत, जल, टेलीफोन कनेक्शन ग्राम पंचायत बाय से अनापत्ती प्रमाण पत्र ले कर ले रखे है। आवेदिका/प्रार्थीनी उत्तरदाता/अनावेदक को 0.64 है0 सम्पूर्ण पर ही कब्जा बजा कर आ रही है एवं सम्पूर्ण भूमि पर ही निर्माण करना बता कर आयी है। इसी से साफ जाहिर है कि आवेदिका माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आयी है। इस कारण भी आवेदिका का आवेदन प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। **चूंकि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है, प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ है। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को तादौराने वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 927/2175 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर व संबंधित मूलवाद के साथ संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ